COURT FEE 20रु. Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

(65)

माननीय राजस्व मंडल म०प्र० ग्वालियर के न्यायालय में

R-1093-PBR/13

1— कडवा पिता फत्तु जाति गुजर
2— चिन्ताराम पिता कडवा जाति गुजर
3— राधेश्याम पिता कडवा जाति गुजर
4— मंशाराम पिता शोभाराम जाति गुजर
सभी निवासी— ग्राम रावेरखेडी तहसील बडवाह जिला खरगोन। —— प्रार्थीगण

विरूद्ध

1— तुकाराम पिता फत्तु जाति गुजर
सभी निवासी— ग्राम रावेरखेडी तहसील बडवाह जिला खरगोन।
2— आशाराम पिता सीताराम गुजर
3— श्रीराम पिता सीताराम
4— श्रीमती गेंदाबाई पति सीताराम
5— श्रीमती सरजुबाई पति शंकरलाल गुजर
2 से 5 निवासी— ग्राम पछाया तहसील भींकनगांव
6— श्रीमती सलोनी पति श्रीराम गुजर
7— श्रीमती सुमनबाई पति भेलूजी
दोनों निवासी— ग्राम रावेरखेडी तहसील बडवाह जिला खरगोन।
8— सावित्रीबाई पति परसराम गुजर
निवासी— तिलकमार्ग बडवाह तहसील बडवाह जिला खरगोन। —— प्रतिप्रार्थीगण

श्री पी. जी. पाठक अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 12-9-13 को 5 ड्रीर स्टैम्प पर प्रस्तुत।
12-9-13

18/3/13

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959।

श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय 'राजस्व' बडवाह जिला खरगोन द्वारा राजस्व अपील प्रकरण क्रमांक 20/अ–27/11–12 में दिनांक 20–02–2013 को पारित प्रोसिडिंग आदेश से असन्तुट होकर प्रार्थीगण यह निगरानी निम्नलिखित कारणों से प्रस्तुत करता है :–

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1093-पीबीआर/13

जिला खरगोन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23-1-2019	आवेदकगण की ओर से श्री पी.जी. पाठक, अभिभाषक उपस्थित । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभय पक्ष दिनांक 25-4-2019 को सुनवाई हेतु कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । अनावेदकगण को सूचना दिया जाये । अध्यक्ष	